मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं0 *87

06 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

संसद सदस्य फ्लैटों के रखरखाव हेतु निविदा

87 # श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नवनिर्मित एम.पी. (संसद सदस्य) फ्लैटों यथा गंगा, यमुना और सरस्वती में विद्युत संबंधी रखरखाव और लिफ्ट संचालन आदि के लिए नैमित्तिक कर्मचारी हेतु निविदा मात्र 3 माह के लिए आमंत्रित की जाती है जबकि सिविल कार्यों के लिए यह 3 साल के लिए आमंत्रित की जाती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है क्योंकि इतनी कम अवधि में रखरखाव की पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है;

(ग) क्या उन्हें दिया जाने वाला पारिश्रमिक सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुरूप है; और

(घ) क्या सरकार इन विसंगतियों को दूर करके उन्हें उनके कार्य के अनुरूप पारिश्रमिक आदि का भुगतान कराने हेतु समुचित प्रबंध करेगी?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

एम.पी. (संसद सदस्य) फ्लैटों के लिए रख-रखाव निविदा के संबंध में दिनांक 06.12.2021 के लिए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *87 (12वां स्थान) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): माननीय संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित फ्लैटों नामतः गंगा, यमुना और सरस्वती में लिफ्ट सहित विद्युत उपकरण फरवरी, 2022 तक डिफैक्ट लायबिलिटी के अन्तर्गत आते हैं। डिफैक्ट लायबिलिटी अवधि के बाद ही सिविल/विद्युत रख-रखाव/संचालन के लिए विस्तृत निविदाएं सौंपी जाती हैं। मध्यवर्ती अवधि के दौरान, दैनिक संचालन जारी रखने के लिए कम अवधि वाली संविदाएं दी गई हैं। इसमें सुरक्षा संबंधी कोई मामला नहीं है, क्योंकि इसमें सभी अपेक्षित सुरक्षा मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा कामगारों का पारिश्रमिक मानकों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

******